

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC COOPERATION AND CHILD DEVELOPMENT
5, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110016

No. NI/Accts/I/8/2013-14

Dated 09.12.2020

CIRCULAR

The existing panel of Authorized Medical Attendants (AMAs) practicing Allopathic/Ayurvedic/Homeopathic system of medicine is valid upto 14.12.2020. Therefore, in order to prepare a fresh panel of AMAs, all the officers, staff members and retirees are requested to suggest the names of registered medical graduate practitioners practicing Allopathic/Homeopathy/Ayurvedic system of medicine (separately for each system) by 28.12.2020 indicating their full particulars as per details given below:

Name of the Doctor :

Qualification :

DCI No. :

Address: (i) Clinic :

(ii)Residence :

Phone No.:(i) Landline :

(iii) Mobile No. :

Consent of AMA :

2. With the introduction of new panel of AMA w.e.f. **01.04.2021** the existing panel will be cancelled. However, treatment taken upto **31.03.2021** or medicine prescribed before will be admitted till its validity of medicine prescribed.

3. During the validity period of new panel of AMAs no additions/changes will be allowed. Such additions changes may be consider only in cases where an employee shift his/her residence or no AMA is available in the nearby area of the new residence.

4. This issue with the approval of the Competent Authority.


5/12/20
(Dr. K.C. George)
Joint Director (CS)

8. Additional Director
9. All Joint Directors/Editor/Deputy Directors – with the advice to circulate this circular among all Officers and Staff
10. Coordination Unit
11. All Retirees
12. Office Order File
13. Notice Board
14. Website of the Institute

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
5, सीरी इस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली-110016

क्रमांक : एनआई/लेखा/1/8/2013-14


दिनांक 09.12.2020

परिपत्र

एलोपैथिक/आयुर्वेदिक/ होम्योपैथिक औषधि प्रणाली की प्रैक्टिस करने वाले प्राधिकृत मेडिकल अटेंडेंट (ए.एम.ए.) का वर्तमान पैनल दिनांक 14.12.2020 तक मान्य है। इसलिए ए.एम.ए. का एक नया पैनल तैयार करने के लिए सभी अधिकारी, कर्मचारी सदस्य तथा सेवानिवृत्ति व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे पंजीकृत मेडिकल ग्रेजुएट प्रैक्टिसनर्स जो एलोपैथिक/आयुर्वेदिक/ होम्योपैथिक औषधि प्रणाली की प्रैक्टिस कर रहे हैं (प्रत्येक प्रणाली के लिए अलग-अलग) के नामों का सुझाव दिनांक 28.12-2020 तक निम्न के अनुसार पूर्ण विवरण के समेत प्रदान करें:

चिकित्सक का नाम :
शैक्षिक योग्यता :
डीसीआई नं. :
पता: (i)क्लीनिक :
(ii)आवास :
फोन नं.: (i) लैंडलाइन :
(ii) मोबाइल नं. :
ए.एम.ए. की सहमति :

- दिनांक 01.04.2021 के प्रभाव से ए.एम.ए. का नया पैनल प्रस्तुत किए जाने के साथ ही मौजूद पैनल को निरस्त कर दिया जाएगा। किन्तु दिनांक 31.03.2021 तक लिए गए उपचार या उससे पहले लिखी गई दवाओं को उनकी वैधता तिथि तक स्वीकार किया जाएगा।
- ए.एम.ए. के नए पैनल की वैधता अवधि के दौरान कोई परिवर्धन / परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे परिवर्धन /परिवर्तनों पर केवल ऐसे मामलों में विचार किया जाएगा जब किसी कर्मचारी ने अपना आवास बदला हो अथवा उसके नए आवास के क्षेत्र में निकट में कोई ए.एम.ए. ना उपलब्ध हो।
- यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।


09/12/20
(डॉ० के.सी. जॉर्ज)
संयुक्त निदेशक (सामान्य सेवा)

- अपर निदेशक
- सभी संयुक्त निदेशक / संपादक / उप निदेशक - साथ ही सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह परिपत्र परिचालित किए जाने के परामर्श के साथ
- समन्वयक इकाई
- सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी
- कार्यालय आदेश फाइल
- सूचना पट
- संस्थान की वेबसाइट